श्री तारा देवी मन्दिर न्यास तारा देवी, तहसील शिमला, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.01.2018 से 31.12.2019

भाग – एक

1 **(i) प्रारम्भिक**

हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था एवं पूर्व विनयास अधिनियम 1984 की धारा 23 (2)(C)(ii) के अन्तर्गत वित्तायुक्त एवं सचिव(एल.ए.सी.) हिमाचल प्रदेश सरकार की विज्ञपति संख्याः भाषा (ए)(3)/85-पार्ट-II, दिनांक 17.01.89 के अनुसार हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था एवं पूर्व विनियासों के अंकेक्षण का दायित्व परीक्षक, हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत **श्री तारा देवी मन्दिर न्यास तारा देवी, तहसील शिमला, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश,** के अवधि 01.01.2018 से 31.12.2019 तक के लेखाओं का अंकेक्षण इस विभाग द्वारा किया गया तथा गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के अनिर्णीत पैरो पर की गई कार्यवाही के पश्चात शेष पैरो का विस्तृत विवरण अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट -क** पर संलग्न है

(ii) अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्न अधिकारी मन्दिर आयुक्त, **अध्यक्ष** एवं सचिव मन्दिर के पद पर न्यास में कार्यरत रहे:-

क्रमांक	**आयुक्त**	**कार्यकाल**	**अध्यक्ष**	**कार्यकाल**	**सचिव**	**कार्यकाल**
1	श्री रोहन चंद	1.1.2018 से 6.1.2018	श्री भूपेंद्र अत्री	1.1.2018 से 20.1.2018	श्री मंजीत शर्मा	1.1.2018 से 08.04.2018
2	श्री अमित कश्यप	6.1.2018 से 19.3.2019	श्री अनिल शर्मा	20.1.2018 से 13.8.2018	श्री हरीश कुमार	9.4.2018 से 7.6.2019
3	श्री	19.3.2019	श्री नीरज	13.8.2018 से	श्री	7.6.2019 से

	राजेश्वर गोयल	से 1.6.2019	गुप्ता	31.12.2019	संजीव गुप्ता	31.12.2019
4	श्री अमित कश्यप	1.6.2019 से 31.12.2019				

(iii) श्री तारा देवी मन्दिर न्यास तारा देवी, तहसील शिमला, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश के अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 01.01.2018 से 31.12.2019 में समाविष्ट मुख्य पैरों का सार

क्रमांक	**संक्षिप्त विवरण**	**पैरा संख्या**	**(₹) लाखो में**
1	आवश्यकता से अधिक राशि को हस्तगत रखना	4(ग)	45.15
2	प्राप्त आय की राशि को बैंक में देरी से जमा करना	7	8.00
3	गल्ले से प्राप्त आय को सत्यापित न करना	8	50.75
4	विभिन्न विभागो से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न करना	11	102.00
5	चैक के स्थान पर विभिन्न फ़र्मों को नगद भुगतान	16	0.81
6	बजट पारित बिना व्यय करना	17	249.52
7	गों रक्षा राशि का अधिक भुगतान	18	9.63
8	वाउचर सत्यापन बिना अनुचित भुगतान	20	3.27
9	क्रय किए गए समान की स्टॉक प्रविष्टि न करना	21	9.76
10	टेंडर आमंत्रण /कोटेशन लिए बिना अनियमित क्रय	24, 25	6.4

भाग-द्वितीय

2 वर्तमान अंकेक्षण

मन्दिर के लेखाओं अवधि 01.01.2018 से 31.12.2019 तक का अंकेक्षण एवं निरीक्षण, श्री रविंदर सिंह सहायक नियंत्रक(ले.प.), द्धारा दिनांक 17.7.2020 से 31.8.2020 तक मन्दिर न्यास कार्यालय तारा देवी में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए निम्न मासों का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

वर्ष	आय	व्यय
2018	10/2018	7/2018
2019	10/2019	10/2019

"इस अंकेक्षण प्रतिवेदन को संस्था द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं के आधार पर तैयार किया गया है। हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग, उक्त संस्था द्वारा सूचना उपलब्ध न करवाने अथवा गलत सूचना उपलब्ध करवाने पर पाई गई अनियमितताओं एवं त्रुटियों के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। राज्य लेखा परीक्षा विभाग का उतरदायित्व केवल चयनित मासों तक ही सीमित है"।

3 अंकेक्षण शुल्क :-

मन्दिर के अवधि 01.01.2018 से 31.12.2019 तक के लेखाओं के वर्तमान अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹35000/- बनता है। मन्दिर न्यास को सहायक नियंत्रक (लेखा परीक्षा) की अधियाचना संख्या आर-83/20 दिनांक 31.8.2020 द्वारा उक्त राशि को निदेशक, हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला -09 को रेखाकिंत बैंक ड्राफट के माध्यम से भेजने का अनुरोध किया गया।

4 (क) वित्तीय स्थिति

श्री तारा देवी मन्दिर न्यास तारा देवी, तहसील शिमला, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश द्वारा **" परिशिष्ट -ख"** पर प्रस्तुत अवधि 1.1.2018 से 31.12.2019 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है :-

Statement of Financial Position of Shri Tara Devi Temple Trust, Tara Devi Distt. Shimla, H.P.for the Period 01/2018 to 12/2019						
Year	**Opening Balance**	**Receipt**	**Interest**	**Total**	**Expenditure**	**Closing Balance**
2018	**31114933.29**	**13912160.01**	**1124101.29**	**46151194.59**	**16536638.00**	**29614556.59**
2019	**29614556.59**	**13047814.25**	**1253238.00**	**43915608.84**	**8415598.00**	**35500010.84**
Detail of Balances						
HP State Cooperative Bank Shogi A/C No. 4400100001						**23765653.71**
HP State Cooperative Bank The Mall A/C No.4380116555						**26566.80**
HDFC Bank Saunjauli A/C No. 034614540000189						**850200.10**

SBI Shogi A/C No.32251914668		**257879.22**
Yes Bank, Shimla A/C No.009194600000135		**2061519.49**
IndusInd Bank Shimla A/C No. 100042553332		**91073.58**
unionBank Shimla A/C No. 309502010017000		**3059624.00**
Canara Bank Shimla A/C No. 3056101001949		**5168712.00**
Cash In Hand		**82694.00**
Total		**35363922.90**
Bank Reconcilation Statement as on 31.12.2019		
Balance as per Cash Book		**35500010.84**
Add: Cheque No. 275613 Dt. 23.12.2019 issued but not presented for payment and cashed on dated 1.1.2020	**12582.00**	**12582.00**
Less: Difference between Cash Book and Bank Pass Book for the Period 01.01.2006 to 31.12.2009 as per audit Para 4(3)	**148669.94**	**148669.94**
Balance as per Bank Balances		**35363922.90**

(ख) बैंक में ₹148669.94 का कम पाया जाना

मंदिर न्यास श्री तारा देवी की रोकड़ बही व बैंक में ₹148669.94 का अन्तर (जो पूर्व के अंकेक्षण प्रतिवेदनों अवधि 01.01.2006 से 31.12.2009 में पाया गया था तथा वर्ष दर वर्ष अंकेक्षण प्रतिवेदनों में प्रारूपित किया जाता रहा हैं के सम्बन्ध में न्यास द्धारा कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जा रही हैं। अत: पुन: इस संदर्भ में न्यास स्तर पर आंतरिक जाँच करके इस अन्तर का शीघ्र अति शीघ्र समाधान सुनिश्चित किया जाए और अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ग) अवधि 2018 से 2019 के दौरान ₹45.15 लाख को अनियमित रूप से हस्तगत रोकड़ के रूप में रखा जाना :-

रोकड़ बही के अंकेक्षण पर पाया गया कि अवधि 2018 से 2019 के दौरान **परिशिष्ट ख-1** के अनुसार **₹4515365/-** को अनियमित रूप से हस्तगत रोकड़ के रूप में रखा गया था। जबकि हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था एवं पूर्व विनयास नियम 1984 में हस्तगत रोकड़ रखे जाने बारे कोई भी प्रावधान नहीं है यद्यपि उक्त रोकड़ को विभिन्न कार्य दिवसों को संबन्धित बैंक खातों में जमा करवाया गया था। परन्तु प्राप्त आय को अनावश्यक रूप से हस्तगत

रखने के कारण अल्प अवधि के लिए दुर्विनियोजन की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता जिसे नियमों के दृष्टिगत न्यायोचित ठहराया जाए साथ ही भविष्य में रोकड़ को हस्तगत राशि रखे जाने से परिहार किया जाए । इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या आर-82/2020 दिनांक 27.8.2020 के प्रतिउत्तर में मंदिर न्यास द्धारा पत्र संख्या मन्दिर न्यास तारा देवी /ऑडिट 45 दिनांक 31.08.2020 से सूचित किया गया कि इस विषय में आवश्यक कार्यवाही करने के उपरान्त अनुपालना से अवगत करवाया जायेगा। अतः यह मामला उच्च अधिकारियो के ध्यानार्थ इस आश्य के साथ लाया जाता है कि मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए ।

(घ) मन्दिर न्यास द्धारा अनावश्यक रूप से खातो का संचालन करने बारे।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया मन्दिर न्यास द्वारा अनावश्यक रूप से बैंक खातों का संचालन किया जा रहा है वर्ष के दौरान इन खातों में कोई लेन देन नहीं किया जा रहा है इन खातों में केवल ब्याज की प्रविष्टि की जा रही है तथा कुछ खातों का संचालन निम्न विवरण अनुसार अनावश्यक रूप से किया जा रह है । इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या आर-82/2020 दिनांक 27.8.2020 के प्रतिउत्तर में मंदिर न्यास द्धारा पत्र संख्या मन्दिर न्यास तारा देवी /ऑडिट 45 दिनांक 31.08.2020 से सूचित किया गया कि इस विषय में आवश्यक कार्यवाही करने के उपरान्त अनुपालना से अवगत करवाया जायेगा । अतः सुझाव दिया जाता है कि इन खातो मे वर्तमान तक समस्त प्रविष्टियाँ करवाकर इन्हे रोकड़ बही मे लेखाबद्ध किया जाए व इन निष्क्रिय खातो को अविलम्ब बंद करके जमा राशि को मन्दिर न्यास के अन्य बैंक खातों मे हस्तांतरण किया जाए

Name of Bank	**Account no**	**Balance as on 31.12.2019 (₹)**	**Remarks**
H.P.State coopratіve Bank The Mall	6555	26566.80	No Transaction made during the audit period and Trust have already another bank account at shogi Branch
Yes Bank Shimla	135	216151	No Transaction made during the audit period only interest earned recorded in This Account

Indusind Bank Shimla	33332	91073	No Transaction made during the audit period only interest earned recorded in this Account
union Bank Shimla	7000	3059624	No Transaction made during the year only interest earned entry recorded in this Account and entry regarding transfer one account to another recorded in this account
Canra Bank	1949	5168712	No Transaction made during the year only interest earned entry recorded in this Account and entry regarding transfer one account to another recorded in this account

(ङ) रोकड़ बही को सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित न करना :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा अवधि 4/18 से 6/19 की रोकड़ बही को मन्दिर अधिकारी/ सचिव से सत्यापित नहीं करवाया गया है जोकि एक गंभीर अनियमितता है जबकि नियमानुसार रोकड़ बही की प्रत्येक प्रविष्टी को मन्दिर अधिकारी/सचिव से सत्यापित किया जाना अपेक्षित है अत; रोकड़ बही को सत्यापित न करवाने का औचित्य नियमों के दृष्टिगत स्पष्ट किया जाए। इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या आर-82/2020 दिनांक 27.8.2020 के प्रतिउत्तर में मंदिर न्यास द्धारा पत्र संख्या मन्दिर न्यास तारा देवी /ऑडिट 45 दिनांक 31.08.2020 से सूचित किया गया कि इस विषय में आवश्यक कार्यवाही करने के उपरान्त अनुपालना से अवगत करवाया जाएगा। अतः यह मामला उच्च अधिकारियो के ध्यान में इस आशय के साथ लाया जाता है कि मामले में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जाए तदानुसार अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए।

5 **(क) सोना व चाँदी**

श्री तारा देवी मन्दिर न्यास तारा देवी, तहसील शिमला, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश द्धारा **परिशिष्ट- ग** पर प्रस्तुत अंकेक्षण अवधि की सोने व चाँदी की वर्तमान स्थिति निम्न प्रकार से है :-

सोने की वित्तीय स्थिति

Financial Position of Gold as on 31.12.2019 in r/o Shri Tara Devi Temple Trust, Tara Devi, Shimla, H.P.

Year	Opening Balance (Qty in grams)	Receipt during the year (Qty in grams)	Total (Qty in grams)	Issued during the year (Qty in grams)	Closing Balance during the year (Qty in grams)
2018	1465.762	110.530	1576.292	0.00	1576.292
2019	1576.292	135.590	1711.882	0.00	1711.882

सोने का विवरण	मात्रा ग्राम में
शुद्ध सोने के मात्रा जोकि मंदिर न्यास के लाकर (Safe) में दिनांक 22.12.2016 से रखी गई हैं।	233.400
अशुद्ध सोने की मात्रा जोकि मंदिर न्यास के लाकर (Safe) में दिनांक 22.12.2016 से रखी गई हैं।	2.250
अशुद्ध सोने की मात्रा जोकि मंदिर न्यास के लाकर (Safe) में दिनांक 22.12.2016 से रखी गई हैं।	79.500
अशुद्ध सोने का छतर जोकि माता तारा देवी जी के मुख्य मंदिर में दिनांक 04.10.2005 से रखा गया हैं।	241.500
अशुद्ध सोने की मात्रा जोकि मंदिर न्यास के लाकर (Safe) में अवधि 26.09.2004 से 31.12.2019 के दौरान रखी गई हैं।	1148.232
List of Gold ornaments seized vide FIR No. 90/67 Dt. 19.03.1967 and released vide Ld.Court JMiC(II)-Shimla order Dt. 10.07.2006 in case No. 161/04 of 2006 u/s 406 IPC of Gold Chatter unpurified.	7.000
Total	1711.882

Financial Position of Silver as on 31.12.2019 in r/o Shri Tara Devi Temple Trust, Tara Devi, Shimla, H.P.					
Year	**Opening Balance (Qty in grams)**	**Receipt during the year(Qty in grams)**	**Total (Qty in grams)**	**Issued during the year (Qty in grams)**	**Closing Balance during the year (Qty in grams)**
2018	**9639.636**	**13658.550**	**23298.186**	**0.00**	**23298.186**
2019	**23298.186**	**10165.010**	**33463.196**	**0.00**	**33463.196**

चाँदी का विवरण	मात्रा ग्राम में	
मंदिर न्यास के लाकर (Safe) में रखी गई दिनांक 31.12.2019 को अशुद्ध चाँदी की मात्रा	**33463.196**	
उपरोक्त के अतिरिक्त मंदिर न्यास में उपलब्ध विभिन्न चाँदी की वस्तुओं का ब्यौरा निम्न प्रकार से था।		
विवरण	नम्बर में	ग्राम में
चाँदी के सिक्के रूपये में	**19 नं.**	
चाँदी की अठानियाँ	**8 नं.**	
चाँदी का कलश जोकि माता तारा देवी जी के मुख्य मंदिर में रखा गया हैं।		**35.000**
चाँदी की ज्योति एवं चाँदी की दियुट कुल)4 मदेंजोकि माता (तारा देवी जी के मुख्य मंदिर में रखी गई हैं।	**4 नं.**	**208.008**
चाँदी का छतर सोने के साथ मंदिर न्यास के लाकर में।		**100.000**
उपरोक्त के अतिरिक्त मंदिर न्यास में उपलब्ध विभिन्न शुद्ध चाँदी का ब्यौरा निम्न प्रकार से है।		**108391.000**
उपरोक्त शुद्ध चांदी माता तारा देवी के गर्भ गृह के मुख्य द्वार व माता के सिहांसन में विराजमान है		

(ख) हि० प्र० हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्थान एवम विन्यास अधिनियम,1984 की धारा 12-ए(2) के प्रावधानों को लागू न करना

हि० प्र० हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्थान एवम विन्यास अधिनियम,1984 की धारा 12-A (2)(A)(ii) के प्रावधानानुसार 20% सोना भारतीय स्टेट बैंक की गोल्ड बांड स्कीम में निवेश करना अपेक्षित था परन्तु अंकेक्षण को प्रस्तुत अभिलेख के अंकेक्षण से यह विदित हुआ कि इन प्रावधानों को अमल में नहीं लाया गया था जिसके कारण जहाँ न्यास एक्ट के प्रावधानों को लागू करने में विफल रहा है वहीं इन प्रावधानों को लागू करने से होने वाली आय से दो दशक से भी ज्यादा समय से वंचित होना पड़ रहा है जोकि एक गंभीर अनियमितता है जिसका औचित्य स्पष्ट करते हुए उक्त प्रावधानों को अविलम्ब लागू किया जाना सुनिश्चित किया जाये इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या आर-82/2020 दिनांक 27.8.2020 के प्रतिउत्तर में मंदिर न्यास द्वारा पत्र संख्या मन्दिर न्यास तारा देवी /ऑडिट 45 दिनांक 31.08.2020 से सूचित किया गया कि इस विषय में आवश्यक कार्यवाही करने के उपरान्त अनुपालना से अवगत करवाया जायेगा।

(ग) हि० प्र० हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्थान एवम विन्यास अधिनियम,1984 की एक्ट की धारा के प्रावधानों को लागू न करना

हि० प्र० हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्थान एवम विन्यास अधिनियम,1984 की धारा 12-ए (2)(B)(iii) के प्रावधानानुसार 60% चांदी को सिक्के में ढाल कर श्रद्धालुओं को वर्तमान मूल्य पर विक्रय किया जाना अपेक्षित था परन्तु अंकेक्षण को प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन से विदित हुआ कि इन प्रावधानों को अमल में नहीं लाया गया था जिसके कारण जहाँ न्यास एक्ट के प्रावधानों को लागू करने में विफल रहा है वहीं इन प्रावधानों को लागू न करने से होने वाली आय / लाभों से भी एक दशक से भी ज्यादा समय से वंचित होना पड़ रहा है जोकि एक गंभीर अनियमितता है जिसका औचित्य स्पष्ट करते हुए उक्त प्रावधानों को अविलम्ब लागू किया जाना सुनिश्चित किया जाये इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या आर-82/2020 दिनांक 27.8.2020 के प्रतिउत्तर में मंदिर न्यास द्वारा पत्र संख्या मन्दिर न्यास तारा देवी /ऑडिट 45 दिनांक 31.08.2020 से सूचित किया गया कि इस विषय में आवश्यक कार्यवाही करने के उपरान्त अनुपालना से अवगत करवाया जायेगा।

(घ) सोने चांदी के रजिस्टर को सत्यापित न करवाने बारे - :

अंकेक्षण के दौरान सोने चांदी के रजिस्टर की पड़ताल करने पर पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा सोने चांदी के रजिस्टर को निम्न प्रकरणो मैं मन्दिर सचिव/अधिकारी से सत्यापित नहीं

करवाया गया था उक्त सत्यापन के अभाव में प्राप्त सोने चांदी के सही प्राप्ति की पुष्टि नहीं की जा सकी जबकि सोने चांदी के रजिस्टर को मन्दिर सचिव/अधिकारी से सत्यापित करवाया जाना अपेक्षित था जिसे न्यायोचित ठहराया जाए इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या आर-82/2020 दिनांक 27.8.2020 के प्रतिउत्तर में मंदिर न्यास द्वारा पत्र संख्या मन्दिर न्यास तारा देवी /ऑडिट 45 दिनांक 31.08.2020 से सूचित किया गया कि इस विषय में आवश्यक कार्यवाही करने के उपरान्त अनुपालना से अवगत करवाया जायेगा। अत: इस बारे अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से अवगत करवाया जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि भविष्य मे इस प्रकार के मामलो की पुनरावृति न हो।

मद का नाम जिसका रजिस्टर सत्यापित नहीं किया गया	**अवधि जिस दौरान रजिस्टर सत्यापित नहीं किया गया**	**रजिस्टर पृष्ट संख्या**
सोना	9.4.2018 से 7.6.2019	189 से 193
चांदी	9.4.2018 से 7.6.2019	78 से 100

6 बचत खाते में पड़ी अधिक्य (Surplus) राशि को लम्बी अवधि हेतु सावधि जमा योजना में निवेश न करने से ब्याज की सम्भावित हानि बारे

हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के पत्र संख्या FIN-IF(A) 1-68/91-V दिनांक 6.6.14 के अनुसार अधिक्य (Surplus) राशि में से 100% राशि को हि.प्र. राज्य सहकारी बैंक/कांगड़ा सैंट्रल सहकारी बैंक में सावधि जमा में निवेश किया जायेगा। श्री तारा देवी मन्दिर न्यास, तारा देवी, तहसील शिमला, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश के पास दिनांक 31.12.2019 को ₹3**5500010.84** की राशि बचत खातों में जमा थी। परन्तु अंकेक्षण अवधि 01.01.2018 से 31.12.2019 के दौरान किसी भी राशि को सावधि जमा योजना में निवेश नहीं किया गया था। इस प्रकार उपरोक्त पत्र द्वारा जारी किए गए निर्देशों की पूर्ण अनदेखी की गई। इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या आर-82/2020 दिनांक 27.8.2020 के प्रतिउत्तर में मंदिर न्यास द्वारा पत्र संख्या मन्दिर न्यास तारा देवी /ऑडिट 45 दिनांक 31.08.2020 से सूचित किया गया कि इस विषय में आवश्यक कार्यवाही करने के उपरान्त अनुपालना से अवगत करवाया जायेगा।

अत: सुझाव दिया जाता है कि (surplus) अधिक्य राशि को सावधि जमा में निवेश किया जाए जिससे अधिक ब्याज प्राप्त किया जा सके।

7 मंदिर न्यास को प्राप्त आय को देरी से जमा करवाए जाने बारे:

मंदिर न्यास को प्राप्त आय का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि मंदिर चढावे एवं अन्य स्रोतों से प्राप्त आय ₹800015 को विभिन्न कार्य दिवसों को बैंक में देरी से जमा करवाया गया था। ऐसी सभी आय का पूर्ण ब्यौरा निम्न में दिया गया हैं। प्राप्त आय को देरी से बैंक में जमा करवाना अनियमित ही नहीं अपितु गंभीर वित्तीय अनियमितता भी हैं। प्राप्त आय को अनावश्यक रूप से हस्तगत रखने के कारण राशि के अल्प अवधि के लिए दुर्विनियोजन कि संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता जिसे नियमों के दृष्टिगत न्यायोचित ठहराया जाए तथा भविष्य में प्राप्त आय को प्राप्ति के दिन या अगले कार्य दिवस को बैंक में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र सूचित किया जाए इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या आर-82/2020 दिनांक 27.8.2020 के प्रतिउत्तर में मंदिर न्यास द्वारा पत्र संख्या मन्दिर न्यास तारा देवी /ऑडिट 45 दिनांक 31.08.2020 द्वारा सूचित किया गया कि इस विषय में आवश्यक कार्यवाही करने के उपरान्त अनुपालना से अवगत करवाया जायेगा

Receipt No	**Date of Collection**	**Date of Deposit**	**Amount Collected & Deposited (₹)**
53089 to 53145	1.10.2018 to 9.10.2018	9.10.2018	17477
51266 to 51268	2.10.2018 to 9.10.2018	22.10.2018	9000
53282 to 53287	8.10.2018	22.10.2018	10000
53146 to 53200	10.10.2018 to 12.10.2018	23.10.2018	26579
53301 to 53375	12.10.2018 to13.10.2018	23.10.2018	23141
51269 to 51273	10.10.2018 to 13.10.2018	23.10.2018	22000
53376 to 53400	14.10.2018	24.10.2018	12472
53501 to 53546	14.10.2018	24.10.2018	64969
53547 to 53600	15.10.2018 to 16.10 2018	24.10.2018	27088
53701 to 53730	16.10.2018	24.10.2018	27932
53731 to 53832	17.10.2018 to 18.10.2018	29.10.2018	38654
51274 to 51280	14.10.2018 to 18.10.2018	29.10.2018	25900
563638 to 53639	17.10.2018	12.11.2018	82000

53833 to53879	19.10.2018	20.11..2018	21405
51281 to 51282	19.10.2018	16.11.2018	10500
53880 to 53900	20.10.2018 to 21.10.2018	26.11.2018	25028
53640 to 53671	21.10.2018 to 23.10.2018	26.11.2018	17955
51837 to 51842	5.10.2018 to 23.10.2018	28.11.2018	18370
53672 to 53700	24.10.2018 to 28.10.2018	28.11.2018	25810
53901 to 53910	28.10.2018	28.11.2018	8561
53401 to 53403	21.10.2018 to 28.10.2018	30.11.2018	6101
53910 to 53933	29.10.2018 to 31.10.2018	30.11.2018	4013
51283 to 51287	21.10.2018 to 30.10.2018	3.12.2018	15750
51843 to 51847	28.10.2018	3.12.2018	12200
57174 to 57200	2.10.2019 to 5.10.2019	18.10.2019	18100
56172 to 56179	1.10.2019 to 5.10.2019	18.10.2019	39300
57556 to 57654	7.10.2019 to 9.10.2019	6.12.2019	59875
56182 to56183	9.10.2019	29.10.2019	12000
57655 to 57700	10.10.2019 to 13.10.2019	13.11.2019	11227
56184 to 56186	10.10.2019 to 13.10.2019	13.11.2019	13000
55648 to 55651	14.10.2019	19.11.2019	5500
57444 to 57470	15.10.2019 to 21.10.2019	19.11.2019	12538
56187 to 56188	15.10.2019 to 20.10.2019	19.11.2019	9500
56189 to 56191	22,10,2019 to 27.10.2019	2.12.2019	12700
55654 to 55659	23.10.2019 to 28.10.2019	6.12.2019	28370
1633	14.07.2018	11.09.2019	25000
		Total	**800015**

8 गल्ले से प्राप्त आय ₹50.75 लाख को सत्यापित न करवाने बारे - :

गल्ले से प्राप्त आय की पड़ताल के दौरान पाया गया कि निम्न प्रकरणो मैँ गल्ला खोले जाने पर प्राप्त आय को मन्दिर सचिव/अधिकारी से सत्यापित नहीं करवाया गया था जबकि नियमानुसार मन्दिर का गल्ला मन्दिर सचिव/अधिकारी की उपस्थिति में खोला जाना चाहिए व रजिस्टर जिसमे मन्दिर की प्राप्त आय का विवरण दर्ज किया जाता है पर मन्दिर अधिकारी के हस्तातक्षर किए जाने अपेक्षित है परन्तु निम्न मामलों में **₹5075156/- (दान पात्र मुख्य मंदिर व**

दान पात्र दूधाधारी मन्दिर) की प्राप्त आय को मन्दिर अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया है जिसे नियमों के दृष्टिगत न्यायोचित ठहराया जाए इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या आर-82/2020 दिनांक 27.8.2020 के प्रतिउत्तर में मंदिर न्यास द्धारा पत्र संख्या मन्दिर न्यास तारा देवी /ऑडिट 45 दिनांक 31.08.2020 से सूचित किया गया कि इस विषय में आवश्यक कार्यवाही करने के उपरान्त अनुपालना से अवगत करवाया जायेगा। अत: इस बारे अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से अवगत करवाया जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि भविष्य मे इस प्रकार के मामलो की पुनरावृति न हो।

दान पात्र (मुख्य मंदिर)

दिनांक जिस दिन गला खोला गया	**अवधि जिसकी प्राप्त आय कि गणना की गई**	**गले से प्राप्त आय (₹)**
16.4.2018	27.3.2108 to 15.4.2018	423091
2.5.2018	16.4.2018 to 1.5.2018	260905
16.5.2018	2.5.2018 to 15.5.2018	220434
30.5.2018	16.5.2018 to 29.5.2018	352364
15.6.2018	30.5.2018 to 14.6.2018	296613
30.6.2018	15.6.2018 to 29.6.2018	355599
16.7.2018	30.6.2018 to1 15.7.2018	383539
31.7.2018	16.7.2018 to 30.7.2018	623859
16.8.2018	31.7.2018 to1 15.7.2018	405810
31.8.2018	16.8.2018 to 30.7.2018	250404
15.9.2018	31.8.2018 to 14.9.2018	207709
29.9.2018	15.9.2018 to 28.9.2018	211153
15.10.2018	12.10.2018 to14.10.2018	376983
20.10.2018	18.10.2018 to 19.10.2018	175056
	Total	**4543519**

दान पात्र (दूधाधारी मन्दिर)

दिनांक जिस दिन गला खोला गया	**अवधि जिसकी प्राप्त आय कि गणना की गई**	**गले से प्राप्त आय (₹)**
16.4.2018	27.3.2108 to 15.4.2018	50410
2.5.2018	16.4.2018 to 1.5.2018	34150
16.5.2018	2.5.2018 to 15.5.2018	25700
30.5.2018	16.5.2018 to 29.5.2018	38110
15.6.2018	30.5.2018 to 14.6.2018	42035
30.6.2018	15.6.2018 to 29.6.2018	42210
16.7.2018	30.6.2018 to1 15.7.2018	51780
31.7.2018	16.7.2018 to 30.7.2018	63064
16.8.2018	31.7.2018 to1 15.7.2018	50853
31.8.2018	16.8.2018 to 30.7.2018	24270
15.9.2018	31.8.2018 to 14.9.2018	17740
29.9.2018	15.9.2018 to 28.9.2018	21910
15.10.2018	12.10.2018 to14.10.2018	47955
20.10.2018	18.10.2018 to 19.10.2018	21450
	Total	**531637**

9 दुकानों के किराए ₹0.18 लाख की वसूली न किए जाने बारे:

अंकेक्षण को किराए से संबन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना की पड़ताल करने पर यह पाया गया कि विभिन्न किरायेदारों से दिनांक 31.12.2019 तक किराये की **₹18000/-** वसूली हेतु लम्बित थी। इन सभी किरायेदारों का पूर्ण विवरण नीचे दर्शाया गया है। इस संदर्भ में जारी

अंकेक्षण अधियाचना संख्या आर-82/2020 दिनांक 27.8.2020 के प्रतिउत्तर में मंदिर न्यास द्वारा पत्र संख्या मन्दिर न्यास तारा देवी /ऑडिट 45 दिनांक 31.08.2020 द्वारा सूचित किया गया कि इस विषय में आवश्यक कार्यवाही करने के उपरान्त अनुपालना से अवगत करवाया जायेगा। अत: इन किरायेदारों से प्राथमिकता के आधार पर किराये की वसूली सुनिश्चित की जाए। तदानुसार अनुपालना से इस विभाग को भी शीघ्र सूचित किया जाए

Sr. No.	**Name of Allotee**	**Balance of shop Rent as on 31.12.2019 (₹)**
1	Sh.Puran Singh Shop No 1	1100
2	Sh.Susheel Kumar Shop No 3	2200
3	Sh. Krishan Chand Shop No 4	1100
4	Sh.Bablu Thakur Shop No 5	7700
5	Sh. Ramesh Thakur shop no 6	1100
6	Smt Sharda Devi shop No 9	3300
7	Smt Meena Verma Shop No 14	1500
	Total	**18000**

10 दुकानों के किराए से संबन्धित अनुबन्ध का नवीनीकरण (Renew) न करना

अंकेक्षण के दौरान दुकानों से संबन्धित विभिन्न अभिलखों का अवलोकन करने पर पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा निम्न विवरणानुसार श्री बबलू ठाकुर के साथ देय तिथि से अनुबंध का नवीनीकरण नहीं किया गया है जोकि गम्भीर वितीय अनियमितता है दुकानों के आबंटन की शर्तों के अनुसार किराये का अनुबन्ध नवीनीकरण की देय तिथि से किया जाना अपेक्षित था। अत :दुकानों के किराए का अनुबन्ध न बनाए जाने को या तो न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा नियमानुसार दुकानों के किराए के अनुबंध को निर्धारित अवधि उपरान्त किराये वृद्धि एवं दण्ड प्रावधानों सहित नवीनीकरण (Renew) किया जाना सुनिश्चित किया जाए तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए। इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या आर-82/2020 दिनांक 27.8.2020 के प्रतिउत्तर में मंदिर न्यास द्वारा पत्र संख्या मन्दिर न्यास तारा देवी /ऑडिट 45 दिनांक 31.08.2020 द्वारा सूचित किया गया कि इस विषय में आवश्यक कार्यवाही करने के उपरान्त अनुपालना से अवगत करवा दिया जायेगा।

Detail of Shopkeeper Whose Agreement has not been Made			
Sr No	**Name of Allotees**	**Date of Allotment**	**Due Date of Aggrement**
1	Sh.Bablu Thakur Shop No 5	1.4.2011	1.5.2019

11 ₹102.75 लाख के भुगतानों के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न किया जाना

मन्दिर न्यास श्री तारा देवी द्धारा मन्दिर परिसर में विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु विभिन्न सरकारी विभागों जिनका विवरण निम्न में दिया गया हैं, को विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु भुगतान किया गया था। इन भुगतानों के संदर्भ में संबन्धित सरकारी विभागों से कार्य समाप्ति पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किए गए थे। इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या आर-82/2020 दिनांक 27.8.2020 के प्रतिउत्तर में मंदिर न्यास द्धारा पत्र संख्या मन्दिर न्यास तारा देवी /ऑडिट 45 दिनांक 31.08.2020 द्वारा सूचित किया गया कि इस विषय में आवश्यक कार्यवाही करने के उपरान्त अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जायेगा। अत: इस सन्दर्भ में उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करके आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए I

मन्दिर परिसर में किए गए निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में किए गए भुगतानों का विवरण

भुगतान की तिथि	रोकड़ बही पृ.सं.	राशि	विभाग का नाम जिसे भुगतान किया गया था।	उद्देश्य
वाऊचर संख्या 110 dt. 12.04.2016	92	275000.00	Assistant Engineer, DRDA DC Office Complex Shimla	Regarding C/o Toilet and Bath Room including Septic Tank near Temple Complex Juggar, Shilgaon, Shimla
23.2.2018	344	10000000.00	Executive Engineer, Shimla Rural Division HPPWD Dhami	Regarding Construction Work (Main Temple)
Total		**10275000.00**		

12 विभिन्न प्रयोजनों हेतु प्रदान किए गए अग्रिम को लम्बी अवधि के बाद समायोजित किए जाने बारे।

अग्रिम राशियों से संबन्धित अभिलेख की अंकेक्षण में पड़ताल करने पर पाया गया कि विभिन्न प्रयोजनों हेतु अग्रिम के रूप में विभिन्न व्यक्तियों, को अग्रिम भुगतान किया गया था। जाँच करने पाय गया कि यह अग्रिम राशियाँ लम्बी अवधि के बाद समायोजित की गई थी जोकि एक गंभीर वित्तीय अनियमितता हैं साथ ही इससे अग्रिम राशियों के दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता। ऐसे सभी अग्रिमों का विवरण **परिशिष्ट- घ** पर संलग्न किया गया हैं। इस संबंध में पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरों में भी आपत्ति दर्ज की गई थी, परंतु इसके बाद भी अग्रिम राशियों को समय बद्ध ढंग से समायोजित न करने का कोई विशेष प्रयास नहीं किया गया। अत: पुन: यह प्रकरण विशेष रूप से उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ इस आशय के साथ लाया जाता हैं कि अग्रिम राशियों को शीघ्र अति शीघ्र समायोजित किया जाना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा अग्रिम राशियों की वसूली दण्ड ब्याज सहित वसूल करके मंदिर न्यास निधि में जमा करवाई जाए तदानुसार अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र सूचित किया जाए इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या आर-82/2020 दिनांक 27.8.2020 के प्रतिउत्तर में मंदिर न्यास द्वारा पत्र संख्या मन्दिर न्यास तारा देवी /ऑडिट 45 दिनांक 31.08.2020 द्वारा सूचित किया गया कि इस विषय में आवश्यक कार्यवाही करने के उपरान्त अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जायेगा।

13 सक्षम अधिकारी की स्वीकृति व आदेशों के बिना कर्मचारियों की नियुक्ति करने बारे

अभिलेख की जांच में पाया गया कि न्यास द्वारा कर्मचारियो को मंदिर के कार्य हेतु नियुक्त किया गया, जबकि Himachal Pradesh Hindu Public Religious Institutions and Charitable Endowments Act,1984 की धारा **3** के अंतर्गत कर्मचारियो की नियुक्ति हेतु सरकार की अनुमति आवश्यक थी परंतु इस संदर्भ मे केवल मात्र न्यास बैठक में प्रस्ताव पास किया गया तथा तदोपरान्त उनको नियुक्ति प्रदान की गई । इस संदर्भ मे न तो सक्ष्म अधिकारी से स्वीकृति प्रदान की गई, न ही कोई कार्यालय आदेश जारी किए गए ओर न ही अन्य औपचारिकताएँ पूरी की गई । इस प्रकार कर्मचारियों को अनियमित नियुक्ति की सक्षम अधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति लेकर अनियमित नियुक्ति को नियमित करवाया जाए अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत

करवाया जाए इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या आर-82/2020दिनांक 27.8.2020 के प्रतिउत्तर में मंदिर न्यास द्वारा पत्र संख्या मन्दिर न्यास तारा देवी /ऑडिट 45 दिनांक 31.08.2020 द्वारा सूचित किया गया कि इस विषय में आवश्यक कार्यवाही करने के उपरान्त अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जायेगा।

अंकेक्षण अवधि में नियुक्त कर्मचारियो का विवरण निम्न प्रकार से है

Year	**Name of employee appointed**	**Date of appointment**	**Resolution no vide appointment given**	**Remarks**
2018	Sh.Vinod Sharma Mandir Assistant on Daily Wager	1.7.2018	Resoultion no 14 dated 31.05.2018	To Assist the Pujari in Main Temple.
2018	Sh. Mohan Singh Sevadar on Daily Wager	1.7.2018	Resoultion no 14 dated 31.05.2018	To Assist the Pujari in Dudhadari Temple.

14 कर्मचारियों की सेवा पंजिकाओं का रख रखाव नियमानुसार न करना

हिमाचल प्रदेश वितीय नियम **1971** के नियम **7.14** एवं **7.15** के प्रावधानों के अनुसार सेवा पंजिकाओं में कर्मचारियो से संबन्धित विवरण जैसे कि वार्षिक वेतन वृद्धि आदेश, सेवाकाल सत्यापन वेतन निर्धारण आदेश की प्रविष्टि दर्ज की जानी अपेक्षित है किन्तु अंकेक्षण के दौरान कर्मचारियो की सेवा पंजिकाओं का अवलोकन करने पर पाया गया कि निम्न वर्णित प्रकरणों में सेवा पंजिकाओं का रख रखाव नियमानुसार नहीं किया जा रहा है। अत कर्मचारियो :की सेवा पंजिकाओं का रख रखाव नियमानुसार न करने को न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा निम्न वर्णित प्रकरणों सहित अन्य इसी प्रकार के सभी प्रकरणों में अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या आर-82/2020 दिनांक 27.8.2020 के प्रतिउत्तर में मंदिर न्यास द्वारा पत्र संख्या मन्दिर न्यास तारा देवी /ऑडिट 45 दिनांक 31.08.2020 से सूचित किया गया कि इस विषय में आवश्यक कार्यवाही करने के उपरान्त अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जायेगा।

Sr. No	**Name of employee**	**Designation**	**Remarks**
1	Sh. Anil Kumar	Accountant	Enteries reg pay fixation,rugularization not verified by the Competent Authority &

			Enteries reg. Service Verification not recorded in the service book.
2	Sh. Kamlesh Chandra	Chief Pujari	Enteries reg pay fixation,rugularization not verified by the Competent Authority & Enteries reg. Service Verification not recorded in the service book.
3	Sh. Anil Sharma	Assistant Pujari	Enteries reg pay fixation,rugularization not verified by the Competent Authority & Enteries reg. Service Verification not recorded in the service book.
4	Inder Sharma	Assistant Pujari	Enteries reg pay fixation,rugularization not verified by the Competent Authority & Enteries reg. Service Verification not recorded in the service book.
5	Sh. Nand Lal	Store Keeper	Enteries reg pay fixation,rugularization not verified by the Competent Authority & Enteries reg. Service Verification not recorded in the service book.
6	Sh. Prem Chand	Chief Cook	Enteries reg pay fixation,rugularization not verified by the Competent Authority & Enteries reg. Service Verification not recorded in the service book.
7	Sh. Rama Nand	Cook	Enteries reg pay fixation,rugularization not verified by the Competent Authority & Enteries reg. Service Verification not recorded in the service book.
8	Sh. Hira Singh	Night Chowkidar	Enteries reg pay fixation,rugularization not verified by the Competent Authority & Enteries reg. Service Verification not recorded in the service book.
9	Sh. Kishan Chand	Asstt. Mali	Enteries reg pay fixation,rugularization not verified by the Competent Authority & Enteries reg. Service Verification not recorded in the service book.

15 कर्मचारियों के अवकाश खातों को पूर्ण न करना -:

हिमाचल प्रदेश मन्दिर न्यास कर्मचारी नियम 2017 के अनुसार मन्दिर कर्मचरियो को 10 दिन के चिकित्सा अवकाश का प्रावधान है जिसके अनुसार कर्मचारियों के खातों में चिकित्सा अवकाश का क्रेडिट दिया जाना अपेक्षित है। अंकेक्षण के दौरान मन्दिर न्यास के कर्मचारियों की सेवा पंचिकाओ की पड़ताल पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार विभिन्न कर्मचारियों के संदर्भ में अवकाश खातों को पूर्ण नहीं किया गया है जोकि अनियमित है। अतकर्मचारी के अवकाश : खाते को पूर्ण न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या आर-82/2020 दिनांक 27.8.2020 के प्रतिउत्तर में मंदिर न्यास द्धारा पत्र संख्या मन्दिर न्यास तारा देवी /ऑडिट 45 दिनांक 31.08.2020 से सूचित किया गया कि इस विषय में आवश्यक कार्यवाही करने के उपरान्त अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जायेगा।

Sr. No	Name of employee	Designation	Remarks
1	Sh. Anil Kumar	Accountant	Medical leave has not Been Credited in Account.
2	Sh. Kamlesh Chandra	Chief Pujari	Medical leave has not Been Credited in Account.
3	Sh. Anil Sharma	Assistant Pujari	Medical leave has not Been Credited in Account.
4	Inder Sharma	Assistant Pujari	Medical leave has not Been Credited in Account.
5	Sh. Nand Lal	Store Keeper	Medical leave has not Been Credited in Account.
6	Sh. Prem Chand	Chief Cook	Medical leave has not Been Credited in Account.
7	Sh. Rama Nand	Cook	Medical leave has not Been Credited in Account.
8	Sh. Hira Singh	Night Chowkidar	Medical leave has not Been Credited in Account.
9	Sh. Kishan Chand	Asstt. Mali	Medical leave has not Been Credited in Account.

16. ₹0.82 लाख को विभिन्न कार्य हेतु अनियमित रूप से नगद भुगतान करना :-

हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या Fin (C) A (3) -5/2004 दिनांक 23.8.2011 के अनुसार ₹10000/ से अधिक का भुगतान RTGS/NEFD द्धारा संबन्धित व्यक्ति/फ़र्मों को किया जायेगा। अंकेक्षण के दौरान विभिन्न व्ययों वाऊचरों, बैंक पास बुकों और चैक बुकों की **Counterfoils** की पड़ताल करने पर पाया गया कि ₹81944/- के व्यय वाऊचरों का भुगतान RTGS/NEFD द्धारा सीधे प्राप्तकर्ता को न करके मंदिर न्यास के /ट्रस्टियो को किया गया दर्शाया गया था ऐसे सभी भुगतानों का विवरण नीचे दर्शाया गया है । मंदिर न्यास द्धारा नगद भुगतान व मंदिर न्यास के सदस्य को बैंक चैक द्धारा भुगतान करने से भुगतान की गई राशि के दुर्विनियोजन की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता । अत: नियमो की अनदेखी करके भुगतान RTGS/NEFD के स्थान पर नगद करने को न्यायोचित ठहराया जाए। साथ ही इन सभी भुगतानों की सत्यता की पड़ताल विभागीय तौर पर की जानी सुनिश्चित की जाए और अनुपालना आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत की जानी सुनिश्चित की जाए। इसके अतिरिक्त भविष्य में सभी भुगतान सीधे प्राप्तकर्ता के नाम जारी बैंक चैक/ RTGS/NEFD से ही किए जाने सुनिश्चित किए जाए इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या आर-82/2020 दिनांक 27.8.2020 के प्रतिउत्तर में मंदिर न्यास द्धारा पत्र संख्या मन्दिर न्यास तारा देवी /ऑडिट 45 दिनांक 31.08.2020 से सूचित किया गया कि इस विषय में आवश्यक कार्यवाही करने के उपरान्त अनुपालना से अवगत करवाया जायेगा।

Detail of Cash Payment

Vr. No./ Date of Payment	CB P No.	Amount	Detail of Payment	Remarks
Nil of 27.08.2018	57	14910	Amount paid to Sh. Gupta Cloth Shogi for Purchase of Quilt Cover.	Amount paid To Sh. Krishan Chand Trustee by Cheque no 012224 and further paid to Firm.

Nil of 27.08.2018	57	13656	Amount paid to Sh.Madan & Company Shogi for Purchase of Milk & Paneer.	Amount paid To Sh. Krishan Chand Trustee by Cheque no 012224 and further paid to Firm.
Nil of 27.08.2018	57	53378	Amount paid to Sh New Era Tent House Shogi for Decoration	Amount paid To Sh. Krishan Chand Trustee by Cheque no 012224 and further paid to Firm.
Total		**81944**		

17. बजट को सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित करवाए बिना ही मंदिर न्यास निधि से ₹249.52 का व्यय करना

हि.प्र॰ हिन्दू सार्वजनिक संस्थान एंव विन्यास अधिनियम 1984 की धारा 22 के प्रावधानानुसार मंदिर न्यास का वार्षिक बजट आयुक्त एवं प्रबंध कोष समिति से अनुमोदित करवाना अपेक्षित हैं। अभिलेखों की पड़ताल में पाया गया कि मंदिर न्यास द्धारा वर्ष 2018 एवं 2019 का वार्षिक बजट सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित नहीं करवाया गया था, जोकि नियमों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित है । इस प्रकार अंकेक्षण अवधि में निम्न विवरण के अनुसार **₹24952236.00** का व्यय बिना बजट अनुमोदन के किया गया था। अत: बिना बजट अनुमोदन के व्यय किए जाने को न्यायोचित ठहराया जाए। साथ ही वर्ष 2018 एवं 2019 का व्यय वर्तमान में सक्षम प्राधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित किया जाना सुनिश्चित किया जाए। भविष्य में व्यय करने से पूर्व वार्षिक आधार पर सक्षम प्राधिकारी से बजट अनुमोदित करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या आर-82/2020 दिनांक 27.8.2020 के प्रतिउत्तर में मंदिर न्यास द्धारा पत्र संख्या मन्दिर न्यास तारा देवी /ऑडिट 45 दिनांक 31.08.2020 से सूचित किया गया कि इस विषय में आवश्यक कार्यवाही करने के उपरान्त अनुपालना से अवगत करवाया जायेगा।

वर्ष	**कुल व्यय**
2018	16536638.00
2019	8415598.00
कुल योग	**24952236.00**

18 गौ रक्षा राशि के रूप में ₹9.63 लाख का अधिक भुगतान:

हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्व विन्यास अधिनियम 1984 की धारा 22(g) व उप धारा 2(g) सशोधन वर्ष 2018 व तत्पश्चात हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या LCD-A(4) 2/2017 दिनांक 15.01.2019 के अनुसार मन्दिर की वार्षिक आय की 15% (After Deducting Opreating expenses ist charge salary,Development Works etc and shall also include interest on saving and F.D.R ,also of Metal and other Belongings) राशि जिला मुख्यालय में जमा की जानी अपेक्षित थी परन्तु मन्दिर न्यास द्वारा निम्न विवरणानुसार ₹963077 का जिला मुख्यालय को अधिक भुगतान किया गया जिसमे मन्दिर न्यास को ₹963077/- की वितीय हानि हुई जिसे नियमों के दृष्टिगत न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा उक्त राशि की प्रतिपूर्ति भविष्य में किए जाने बाले भुगतान से समायोजित की जानी सुनिश्चित की जाए इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या आर-82/2020 दिनांक 27.8.2020 के प्रतिउत्तर में मंदिर न्यास द्धारा पत्र संख्या मन्दिर न्यास तारा देवी /ऑडिट 45 दिनांक 31.08.2020 से सूचित किया गया कि इस विषय में आवश्यक कार्यवाही करने के उपरान्त अनुपालना से अवगत करवाया जायेगा।

year	Amount of Income including interest after deducting operating Expenses (Rs)	15% of amount which is payable (₹)	Amount which is paid (Rs)	Excess paid (₹)	Remarks
2018	8499623	1274943	2238020	963077	Amount paid to District Head Quarter on Dated 27.8.2019

19 ₹2.93 लाख की मदों का क्रय बिना मंदिर आयुक्त की अनुमति के करना

अंकेक्षण के दौरान विभिन्न निर्माण कार्य की पड़ताल पर पाया गया कि मंदिर न्यास द्धारा मुख्य मंदिर आयुक्त की अनुमति के बिना ₹293279 की मदों का क्रय किया गया था जबकि भाषा एवं संस्कृति विभाग के पत्र संख्या भासनी-14/97-मन्दिर-7-16752 3.9.08 के अनुसार मंदिर न्यास द्धारा ₹50000/- से अधिक के निर्माण कार्य व व्यय हेतु हेतु मंदिर आयुक्त की

अनुमति आवश्यक थी परन्तु मंदिर न्यास द्धारा क्रय की गई मदों जिनका विवरण नीचे दर्शाया गया है के क्रय हेतु मंदिर आयुक्त की अनुमति नहीं ली गई I जोकि एक गंभीर अनियमितता है अत: बिना मंदिर आयुक्त की अनुमति के ₹**293279/-**की क्रय मदों बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा इस संदर्भ में सक्षम अधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या आर-82/2020 दिनांक 27.8.2020 के प्रतिउत्तर में मंदिर न्यास द्धारा पत्र संख्या मन्दिर न्यास तारा देवी /ऑडिट 45 दिनांक 31.08.2020 से सूचित किया गया कि इस विषय में आवश्यक कार्यवाही करने के उपरान्त अनुपालना से अवगत करवाया जायेगा।

Date of Expenditure	**Name of item in which Expenditure has been made**	**Amount Of Expenditure up to 31.12.2019 (₹)**
11.04.2018	Purchase of C.C.Tv Camera	100805
5.11.2019	Purchase of P.V.C Matresses	97166
5.12.2019	**Purchase of Kitchen Bhatti**	**95308**
	Total	**293279**

20. वाउचर सत्यापन किए बिना ही ₹3.27 लाख का भुगतान करना

मन्दिर न्यास द्धारा किए गए सभी प्रकार के भुगतान को मन्दिर अध्यक्ष / अधिकारी द्धारा सत्यापित किया जायेगा। परन्तु अंकेक्षण अवधि के दौरान भुगतान बिलों की जाँच करने में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार ₹327343 के बिलों को मन्दिर अध्यक्ष / अधिकारी द्धारा सत्यापित नहीं किया गया था, जबकि भुगतान से पूर्व बिल/वाउचर को मन्दिर अध्यक्ष / अधिकारी द्धारा सत्यापित किया जाना अपेक्षित है अत: बिल/वाउचर के सत्यापन बिना भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाए तथा इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या आर-82/2020 दिनांक 27.8.2020 के प्रतिउत्तर में मंदिर न्यास द्धारा पत्र संख्या मन्दिर न्यास तारा देवी /ऑडिट 45 दिनांक 31.08.2020 से सूचित किया गया कि इस विषय में आवश्यक कार्यवाही करने के उपरान्त अनुपालना से अवगत करवाया जायेगा।

Detail of Voucher Not verified

Date of Payment	Cash Book Page No	Amount Paid (₹)	To whom Paid	Remarks
17.01.2018	333	14040	Aarti Gas Agency	voucher not verified by chairman
17.01.20188	333	15700	Aarti Gas Agency	voucher not verified by chairman
17.01.2018	333	14915	Aarti Gas Agency	voucher not verified by chairman
17.01.2018	333	4070	Allied electrical shogi	voucher not verified by chairman
17.01.2018	333	775	Baldev Singh Shogi	voucher not verified by chairman
27.08.2018	55	60000	Gupta cotton Shogi	voucher not verified by chairman
27.08.2018	55	19844	Gupta cotton Shogi	voucher not verified by chairman
27.08.2018	55	4900	Kushwant singh Shogi	voucher not verified by chairman
27.08.2018	57	9786	Baldev Singh Shogi	voucher not verified by chairman
27.08.2018	57	13656	Madan singh Shogi	voucher not verified by chairman
27.08.2018	57	9200	Varun merchant Shogi	voucher not verified by chairman
27.08.2018	57	14910	Gupta cotton Shogi	voucher not verified by chairman
28.11.2018	87	4310	Baldev Singh Shogi	voucher not verified by chairman & Temple

				Officer
28.11.2018	87	3245	Baldev Singh Shogi	voucher not verified by chairman & Temple Officer
28.11.2018	88	18440	Aarti Gas Agency	voucher not verified by chairman & Temple Officer
28.11.2018	89	7600	Madan & company Shogi	voucher not verified by chairman & Temple Officer
28.11.2018	89	4471	Varun merchant Shogi	voucher not verified by chairman & Temple Officer
07.06.2019	164	4200	S.S.fasterner shogi	voucher not verified by chairman
13.08.2019	184	13447	Aarti Gas Agency	voucher not verified by chairman
13.08.2019	184	12448	Aarti Gas Agency	voucher not verified by chairman
13.08.2019	184	1457	Munshi Ram Shimla	voucher not verified by chairman
13.08.2019	184	12448	Aarti Gas Agency	voucher not verified by chairman
9.9.2019	192	13600	Aarti Gas Agency	voucher not verified by Temple Officer
4.10.2019	202	13600	Aarti Gas Agency	voucher not verified by Temple Officer
4.10.2019	202	12920	Aarti Gas Agency	voucher not verified by Temple Officer
4.10.2019	202	9270	Aarti Gas Agency	voucher not verified by Temple Officer
4.10.2019	202	1511	Munshi Ram Shimla	voucher not verified by Temple Officer

4.10.2019	202	11124	Aarti Gas Agency	voucher not verified by Temple Officer
4.10.2019	202	1456	Munshi Ram Shimla	voucher not verified by Temple Officer
Total		**327343**		

21 ₹9.76 लाख की क्रय स्थाई एवं अस्थाई मदों की भंडार रजिस्टरों में प्रविष्टियां न करना

मंदिर न्यास के व्यय वाउचर की पड़ताल पर पाया गया कि न्यास द्धारा स्थाई एवं अस्थाई प्रकृति के क्रय किए गए भण्डार को उसकी स्थाई एवं अस्थाई प्रकृति के अनुरूप स्टॉक रजिस्टर में दर्ज नहीं किया जा रहा। अंकेक्षण में विभिन्न क्रय की गई सामग्री की जाँच करने में पाया गया कि मंदिर न्यास द्धारा अंकेक्षण अवधि के दौरान क्रय की गई ₹**976297/-** की विभिन्न मदों, जिनका विवरण नीचे दर्शाया गया है", को क्रय करने के उपरांत भण्डार रजिस्टरों में दर्ज नहीं किया गया था,जोकि एक गंभीर अनियमितता है ी जिस कारण उक्त सामग्री के उपयोग की पड़ताल नहीं की जा सकी इसके अतिरिक्त सामग्री के दुरुपयोग की सम्भावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता । अत: सामग्री की स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टी दर्ज न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए। इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या आर-82/2020 दिनांक 27.8.2020 के प्रतिउत्तर में मंदिर न्यास द्धारा पत्र संख्या मन्दिर न्यास तारा देवी /ऑडिट 45 दिनांक 31.08.2020 से सूचित किया गया कि इस विषय में आवश्यक कार्यवाही करने के उपरान्त अनुपालना से अवगत करवाया जायेगा

Detail of stock Not Entered in Stock Register

Vr. No & Date	C.B. Page No.	Amount of Expenditure (₹)	Detail of Payment
17.01.2018	CB-333	14040	Purchase of 19 nos. cylinders
17.01.2018	CB-333	15700	Purchase of 20 Nos. Cylinders
17.01.2018	CB-333	14915	Purchase of 19 nos. Cylinders
17.01.2018	CB-333	4070	Purchase of Electrical items

03.03.2018	CB-349	13850	Purchase of Shawl and Caps
03.03.2018	CB-349	4850	Purchase of Shawl and Caps
13.03.2018	CB-351	1990	Purchase of Electric Kettle
13.03.2018	CB-351	14040	Purchase of 18 nos cylinders
13.03.2018	CB-352	13950	Purchase of 18 nos cylinders
13.03.2018	CB-352	13841	Purchase of 19 nos cylinders
31.03.2018	CB-01	9150	Purchase of Shawl and Caps
04.04.2018	CB-05	6018	Purchase of Electrical items
11.04.2018	CB-07	18850	Purchase of Idols for VIP’s
07.05,2018	CB-16	12384	Purchase of 17 nos cylinders
07.05,2018	CB-17	13841	Purchase of 19 nos cylinders
07.05,2018	CB-18	2318	Purchase of Fruit & Veg.
07.05,2018	CB-19	11656	Purchase of 16 nos.cylinders
07.05,2018	CB-19	13167	Purchase of 19 nos.cylinders
07.05,2018	CB-19	13860	Purchase of 20 nos.cylinders
09.07.2018	CB-38	13129	Purchase of 19 nos.cylinders
09.07.2018	CB-38	13311	Purchase of 18 nos cylinders
09.07.2018	CB-38	14790	Purchase of 20 nos.cylinders
03.08.2018	CB-49	725	Purchase of Electrical item
03.08.2018	CB-50	15162	Purchase of 19 nos.cylinders
03.08.2018	CB-50	450	Purchase of Electrical item
03.08.2018	CB-50	14364	Purchase of 18 nos cylinders
03.08.2018	CB-50	15162	Purchase of 19 nos.cylinders
09.10.2018	CB-72	15827	Purchase of 19 nos.cylinders
09.10.2018	CB-72	17270	Purchase of 20 nos.cylinders
09.10.2018	CB-72	16406	Purchase of 19 nos.cylinders
05.11.2018	CB-83	15470	Purchase of Electrical item
05.11.2018	CB-83	15980	Purchase of Electrical item
05.11.2018	CB-83	12015	Purchase of Electrical item
05.11.2018	CB-83	13400	Purchase of Electrical item
05.11.2018	CB-83	7345	Purchase of Electrical item
05.11.2018	CB-83	7420	Purchase of Electrical item

28.11.2018	CB-88	18440	Purchase of20 nos.cylinders
28.11.2018	CB-90	1696	Purchase of 2 nos.cylinders
28.11.2018	CB-91	18440	Purchase of 20 nos.cylinders
28.11.2018	CB-91	17518	Purchase of 19 nos.cylinders
07.02.2019	CB-118	18696	Purchase of 19 nos cylinders
07.02.2019	CB-118	20664	Purchase of 21 nos cylinders
08.03.2019	CB-126	17020	Purchase of 20 nos cylinders
08.03.2019	CB-127	13889	Purchase of 19 nos cylinders
08.03.2019	CB-127	14620	Purchase of 20 nos cylinders
08.03.2019	CB-128	5400	Purchase of Burner Top
07.06.2019	CB-158	1380	Purchase of Brasso
07.06.2019	CB-158	14193	Purchase of 19 nos cylinders
07.06.2019	CB-160	14000	Purchase of 20 nos cylinders
07.06.2019	CB-160	14098	Purchase of 19 nos cylinders
07.06.2019	CB-161	14840	Purchase of 20 nos cylinders
07.06.2019	CB-163	44593	Purchase of Dress for employees
07.06.2019	CB-163	2795	Purchase of Electrical & Kitchen item
07.06.2019	CB-163	2250	Purchase of Electrical item
07.06.2019	CB-163	2000	Purchase of Electrical torch for security
07.06.2019	CB-163	2250	Purchase of Electrical item
07.06.2019	CB-163	2700	Purchase of Electrical item
07.06.2019	CB-164	687	Purchase of Sanitary item
07.06.2019	CB-164	2837	Purchase of Sanitary item
07.06.2019	CB-164	2360	Purchase of Sanitary item
07.06.2019	CB-164	3987	Purchase of Sanitary item
15.07.2019	CB-176	13446	Purchase of 18 nos cylinders
15.07.2019	CB-176	14193	Purchase of 19 nos cylinders
15.07.2019	CB-176	14238	Purchase of 18 nos cylinders
13.08.2019	CB-184	13447	Purchase of 17 nos cylinders

13.08.2019	CB-184	12448	Purchase of 16 nos cylinders
13.08.2019	CB-184	12448	Purchase of 16 nos cylinders
09.09.2019	CB-192	14004	Purchase of 18 nos cylinders
09.09.2019	CB-192	15500	Purchase of 20 nos cylinders
09.09.2019	CB-192	13600	Purchase of 20 nos cylinders
09.09.2019	CB-193	1498	Purchase of Sweeper item
04.10.2019	CB-202	13600	Purchase of 20 nos cylinders
04.10.2019	CB-202	12920	Purchase of 19 nos cylinders
04.10.2019	CB-202	9270	Purchase of 15 nos cylinders
04.10.2019	CB-202	11124	Purchase of 18 nos cylinders
14.10.2019	CB-209	6370	Purchase of Sanitary Item
05.11.2019	CB-216	2472	Purchase of 4 nos cylinders
05.11.2019	CB-216	12360	Purchase of 20 nos cylinders
05.11.2019	CB-216	11403	Purchase of 18 nos cylinders
05.11.2019	CB-216	10769	Purchase of 17 nos cylinders
05.11.2019	CB-216	10982	Purchase of 17 nos cylinders
05.12.2019	CB-227	12774	Purchase of 19 nos cylinders
05.12.2019	CB-229	7800	Purchase of Gift item for VIP
23.12.2019	CB- 234	12920	Purchase of 20 nos cylinders
23.12.2019	CB- 234	11628	Purchase of 18 nos cylinders
23.12.2019	CB- 234	13014	Purchase of 18 nos cylinders
Total		**976297**	

22 ₹0.19 लाख का मन्दिर न्यास निधि पर अनुचित प्रभार

अंकेक्षण के दौरान विभिन्न वाउचर कि पड़ताल पर पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा **₹**19206/- का व्यय निम्न विवरण अनुसार उपमण्डल अधिकारी कार्यालय हेतु किया गया उक्त व्यय किसी भी प्रकार से मन्दिर न्यास से सम्बंधित नहीं था जिस कारण **₹**19206/- का व्यय मन्दिर न्यास निधि पर अनुचित प्रभार है जिसे नियमों के दृष्टिगत न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा मामले में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई **जाए।** इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या आर-82/2020 दिनांक 27.8.2020 के प्रतिउत्तर में मंदिर न्यास द्वारा पत्र संख्या मन्दिर

न्यास तारा देवी /ऑडिट 45 दिनांक 31.08.2020 से सूचित किया गया कि इस विषय में आवश्यक कार्यवाही करने के उपरान्त अनुपालना से अवगत करवाया जायेगा।

Date	Cash Book page no	Amount (₹)	To Whom Paid	Purpose Of Payment
31.10.2018	78	17216	Patla Enterprises Shimla	Purchase of R.O For S.D.M Office.
13.03.2018	351	1990	Central Trader Shimla	Purchase of Electric Kettle For S.D.M Office
Total		19206/-		

23. भुगतान किए गए बिजली के बिलों के संदर्भ में भुगतान रजिस्टर न बनाया जाना ।

वर्ष 2018 व 2019 के व्ययों हेतु चयनित मासों के दौरान भुगतान किए गए बिजली के बिल का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि भुगतान किए गए बिलों की प्रविष्टि बिजली बिल भुगतान रजिस्टर में नहीं की गई थी। साथ ही उपरोक्त अवधि के लिए बिजली बिल भुगतान रजिस्टर न बनाए जाने के कारण भुगतान किए गए बिजली बिल के संदर्भ में इस तथ्य की पुष्टि भी नहीं की जा सकी कि यह बिल पूर्व में भुगतान नहीं किए गए थे। अतः भुगतान किए गए बिजली के बिलों क्के सन्दर्भ में बिजली बिल भुगतान रजिस्टर न बनाये जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए साथ ही चयनित माह के अतिरिक्त अंकेक्षणाधीन अवधि में भुगतान किए गए समस्त बिजली के बिलों की प्रविष्टि भुगतान अवधि सहित, बिजली बिल भुगतान रजिस्टर में की जानी सुनिश्चित की जाए जिससे बिजली बिलों के पुन भुगतान :से बचा जा सके। अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र सूचित किया जाए इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या आर-82/2020 दिनांक 27.8.2020 के प्रतिउत्तर में मंदिर न्यास द्धारा पत्र संख्या मन्दिर न्यास तारा देवी /ऑडिट 45 दिनांक 31.08.2020 से सूचित किया गया कि इस विषय में आवश्यक कार्यवाही करने के उपरान्त अनुपालना से अवगत करवाया जायेगा।

वाऊचर संख्या /दिनांक	किए गए भुगतान का विवरण	विवरण	राशि
Nil/26.07.2018	Payment of Electricity Bill	Payment of Electricity Bill For The Month of	6669

		6/2018 for 12 no meter.	
Nil/14.10.2019	Payment of Electricity Bill	Payment of Electricity Bill For The Month of 9/2018 for 12 no meter.	8374
		Total	**15043**

24. हि० प्र० वित्तीय नियम 2009 ,के नियम 97,98 व 99 के अनुसार विहित प्रक्रिया का अनुसरण न करके वर्ष 2018 व 2019 के दौरान विभिन्न मदों पर ₹2.88 लाख का व्यय करना

व्यय एवं भुगतान वाउचरों का संबन्धित अभिलेखों के साथ अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि निम्न वर्णित प्रकरणों में मन्दिर न्यास द्धारा निम्न व्ययों को किए जाने से पूर्व बाजार से निविदायें/कोटेशन आमंत्रित नहीं की गई थी साथ ही हि० प्र० वित्तीय नियम 2009 ,के नियम 97, 98 व 99 के अनुसार विहित प्रक्रिया का अनुसरण किए बिना ही `₹287665 की राशि का व्यय किया गया था जिसके कारण मन्दिर न्यास को बाजार प्रतिस्पर्धा के लाभ से वंचित रहना पड़ा। इस प्रकार विहित प्रक्रिया का अनुसरण न करना अनियमित ही नहीं अपितु आपत्तिजनक भी है । अतः पाई गयी अनियमितता बारे स्पष्टीकरण दिया जाये अन्यथा अनुचित व्यय को अब सक्षम प्रधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में क्रय करने से पूर्व नियमानुसार विहित प्रक्रिया का अनुसरण सुनिश्चित किया जाए । कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाये इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या आर-82/2020 दिनांक 27.8.2020 के प्रतिउत्तर में मंदिर न्यास द्धारा पत्र संख्या मन्दिर न्यास तारा देवी /ऑडिट 45 दिनांक 31.08.2020 से सूचित किया गया कि इस विषय में आवश्यक कार्यवाही करने के उपरान्त अनुपालना से अवगत करवाया जायेगा।-

Purchase Without Quotation				
C.B Page no	**Date**	**Amount**	**Detail of Purchase**	**To whom paid**
333	17.01.18	4070	Purchase of Electrical items	M/s Allied Electrical Shoghi
349	03.03.18	4850	Purchase of Shawl, Caps	M/s Kewal Brothers Shimla
05	04.04.18	6018	Purchase of	M/s Sharma Electricals

			Electrical items	Lower bazar Shimla
07	11.04.18	18850	Purchase of Gift items	M/s Happy brothers The Mall Shimla
55	27.08.18	60000	Purchase of Beddings	M/s Gupta Cloth & General Store Shoghi
55	27.08.18	19844	Purchase of Beddings	M/s Gupta Cloth & General Store Shoghi
57	27.08.18	14910	Purchase of Beddings	M/s Gupta Cloth & General Store Shoghi
78	31.10.18	17216	Purchase of R.O. Water Purifier	M/s Patla Enterprises Subzi mandi Shimla
78	31.10.18	17216	Purchase of R.O. Water Purifier	M/s Patla Enterprises Subzi mandi Shimla
83	05.11.18	15470	Purchase of Electrical items	M/s Allied Electrical & Gift Centre Shoghi
83	05.11.18	15980	Purchase of Electrical items	M/s Allied Electrical & Gift Centre Shoghi
83	05.11.18	12015	Purchase of Electrical items	M/s Allied Electrical & Gift Centre Shoghi
83	05.11.18	13400	Purchase of Electrical items	M/s Allied Electrical & Gift Centre Shoghi
83	05.11.18	7345	Purchase of Electrical items	M/s Allied Electrical & Gift Centre Shoghi
83	05.11.18	7420	Purchase of Electrical items	M/s Allied Electrical & Gift Centre Shoghi
164	07.06.19	3987	Purchase of sanitary items	M/s Surender Sales Shoghi
164	07.06.19	9912	Purchase of water storage tank	M/s S.S. Fastners pvt.ltd. Ind. Area Shoghi
164	07.06.19	4200	Purchase of water storage tank	M/s S.S. Fastners pvt.ltd. Ind. Area Shoghi

209	14.10.19	8000	Purchase of Gift item	M/s Mahashe Jewellers Shimla
209	14.10.19	4892	Purchase of Sanitary items	M/s Surender Sales Shoghi
209	14.10.19	6370	Purchase of Sanitary items	M/s Surender Sales Shoghi
229	05.12.19	7900	Purchase of Daily needs	M/s Madan & Co. Shoghi
229	05.12.19	7800	Purchase of Gift item	M/s Happy Brothers Shimla
Total		**287665**		

25. ₹3.53 लाख का मन्दिर न्यास द्वारा अनियमित क्रय:

अंकेक्षण के दौरान विभिन्न वाउचर की पड़ताल पर पाया गया कि ₹353279 का भुगतान विभिन्न फर्मो को सामान की आपूर्ति हेतु किया गया था। उक्त सामान का क्रय मन्दिर न्यास द्वारा कोटेशन के माध्यम से किया गया जबकि हिमाचल प्रदेश वित नियम 2009 के अनुसार ₹50000/- से अधिक सामान की आपूर्ति हेतु टेंडर आमंत्रित किए जाने अपेक्षित थे ताकि बाजार प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाया जा सका। परन्तु मन्दिर न्यास द्वारा निम्न विवरण अनुसार ₹353279/- के सामान हेतु कोटेशन तो ली गई परन्तु टेंडर आमंत्रित नहीं किए गए जोकि नियमों कि अवेहलना है जिसे नियमों के दृष्टिगत न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए। इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या आर-82/2020 दिनांक 27.8.2020 के प्रतिउत्तर में मंदिर न्यास द्वारा पत्र संख्या मन्दिर न्यास तारा देवी /ऑडिट 45 दिनांक 31.08.2020 से सूचित किया गया कि इस विषय में आवश्यक कार्यवाही करने के उपरान्त अनुपालना से अवगत करवाया जायेगा।-

Voucher No/ Date	**Cash Book Page No**	**Amount paid (₹)**	**To whom Paid**	**Detail Of Payment**
nil/11.4. 2018	7	100805	Total Computer Solution Shimla	Purchase of N.B.R & 6 no C.C. Tv camera and other instrument.
nil/27.8.	55	60000	Gupta Cotton Works	Purchase Of 60 no

2018				Beddings
nil/5.11. 2019	217	97166	Jai Maa Tara Enterprises	Purchase of Door P.V.C Matreeses for Stairs
nil/5.12. 2019	230	95308	Jarnail Steel works	Purchase of 2 No Bhatti
Total		**353279**		

26 ₹800/- की राशि का अधिक भुगतान बारे

अंकेक्षण के दौरान विभिन्न Must Roll Payments की पड़ताल करने पर पाया गया कि मंदिर न्यास द्धारा मजदूरो को हिमाचल प्रदेश सरकार द्धारा निर्धारित दरो से अधिक दरो पर भुगतान किया गया जिनका विवरण " **निचे** दिया गया है, अत :`₹800 का हिमाचल प्रदेश सरकार द्धारा निर्धारित दरो से अधिक दरो से किये गये भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाए। अन्यथा भुगतान की गई अधिक राशि की वसूली उचित माध्यम से की जानी सुनिश्चित की जाए। इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या आर-82/2020 दिनांक 27.8.2020 के प्रतिउत्तर में मंदिर न्यास द्धारा पत्र संख्या मन्दिर न्यास तारा देवी /ऑडिट 45 दिनांक 31.08.2020 से सूचित किया गया कि इस विषय में आवश्यक कार्यवाही करने के उपरान्त अनुपालना से अवगत करवाया जायेगा।

Detail Of Excess Payment								
Name of Labourer	**Cash Book Page no**	**Name of Work**	**Month/ Period**	**No. in Days**	**Rate Paid per Day (Rs)**	**Rate Addimissible (Rs)**	**Excess (Rs)**	**Total Excess Payment (Rs)**
Sh.Kamal Kishore	35,36	Bhandara At Temple	6/2018	8	250	225	25	200
Sh.Mahinder Kumar	35,36	Bhandara At Temple	6/2018	8	250	225	25	200

Sh.Rajesh Kumar	35,36	Bhandara At Temple	6/2018	4	250	225	25	100
Sh. Neeraj Kumar	35,36	Bhandara At Temple	6/2018	4	250	225	25	100
Sh. Anil Kumar	35,36	Bhandara At Temple	6/2018	4	250	225	25	100
Sh. Bal Krishan	35,36	Bhandara At Temple	6/2018	4	250	225	25	100
Total								**800**

27 बिना आवश्यकता के मन्दिर न्यास द्वारा ₹0.48 लाख का सामान का क्रय करने बारे :-

अंकेक्षण के दौरान पड़ताल पर पाया गया कि बिना आवश्यकता के मन्दिर न्यास द्वारा निम्न विवरण अनुसार ₹48274/- के सामान का क्रय किया गया उक्त सामान के क्रय करने के पश्चात सामान की स्टॉक प्रविष्टी स्टॉक रजिस्टर में दर्ज की गई परन्तु न्यास द्वारा उक्त सामान स्टॉक रजिस्टर से वर्तमान अवधि तक जारी नहीं किया गया अर्थात उपयोग में नहीं लाया गया जिससे यह प्रतीत होता है कि उक्त सामान की मन्दिर न्यास में आवश्यकता ही नहीं थी बिना आवश्यकता सामान के क्रय करके मन्दिर न्यास को नुकसान उठाना पड़ा जिसे नियमों के दृष्टिगत न्यायोचित ठहराया जाए I इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या आर-82/2020 दिनांक 27.8.2020 के प्रतिउत्तर में मंदिर न्यास द्धारा पत्र संख्या मन्दिर न्यास तारा देवी /ऑडिट 45 दिनांक 31.08.2020 से सूचित किया गया कि इस विषय में आवश्यक कार्यवाही करने के उपरान्त अनुपालना से अवगत करवाया जायेगा।

voucher no/ Date	Casah Book Page no	Amount Paid (₹)	Agency from item Purchased	Item Purchased	Remarks
Nil/23.04.2018	11	31058	Rajeev K & Company	50 inch Oscar T.V	Item entered at Stock Register Page No 65 but not issued/used Till Date
Nil/3.10.2018	78	17216	Patla Enterprises	R.O System	Item entered at Stock Register Page No 63 but not issued/used Till Date
Total		**48274**			

28 मूल औपचारिकताऐ पूर्ण किए बिना ही ₹0.82 लाख के निर्माण कार्य में अनियमित भुगतान :-

अंकेक्षण के दौरान अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार ₹81630.00 की राशि का व्यय मंदिर परिसरों में विभिन्न निर्माण कार्य करवाने हेतु किया गया था। परंतु किए गए व्यय के संबंध में मूल आवश्यक औपचारिकताओं को पूर्ण नहीं किया गया था अर्थात करवाए गए कार्यों के लिए न तो कोई प्राकलन तैयार किए गए थे और न ही इन कार्यों के संबंध में तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की गई थी। इसके अतिरिक्त कार्यों की प्रगति रिपोर्ट एवं कार्यों के संतोषजनक पूर्ण होने का प्रमाण पत्र भी अभिलेख में संलग्न नहीं किया गया था साथ ही इन कार्यों को करवाने हेतु मंदिर न्यास द्वारा पारित प्रस्ताव भी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए थे। अत: इन मूल आवश्यक औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना कार्य करवाना अनियमित ही नहीं अपितु आपत्तिजनक भी हैं जिस बारे तथ्यों सहित वास्तविक स्थिति स्पष्ट की जाए तथा किए गए व्यय को सक्षम अधिकारी से नियमित करवाकर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जानी सुनिश्चित की जाए। साथ ही भविष्य में इस प्रकार के सभी कार्यों को करवाने से पूर्व मूल आवश्यक औपचारिकताओं को पूर्ण की जानी सुनिश्चित की जाए। इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या आर-82/2020 दिनांक 27.8.2020 के प्रतिउत्तर में मंदिर न्यास द्वारा पत्र संख्या मन्दिर

न्यास तारा देवी /ऑडिट 45 दिनांक 31.08.2020 से सूचित किया गया कि इस विषय में आवश्यक कार्यवाही करने के उपरान्त अनुपालना से अवगत करवाया जायेगा।-

Voucher No./Date	**Amount Of expenditure (₹)**	**Name of Work**	**To whom Payment was Made**
Nil/ 5.11.2018	71630	Electricity wiring at Temple complex	Allied Electricial Shogi
Nil/28.11.2018	10000	Labour payment of Above Work	Sudhir Kumar Shogi.
Total	**81630**		

29 बिना सामान का क्रय करके मजदूरी के रूप में `₹0.64 लाख का संदिग्द भुगतान :-

अंकेक्षण के दौरान व्यय वाउचर की पड़ताल पर पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा निम्न विवरण अनुसार ₹63638/- का भुगतान मन्दिर परिसर में पेंट करवाने हेतु किया गया परन्तु मन्दिर न्यास द्वारा उक्त अवधि में न तो पेंट की खरीद की गई न ही न्यास के स्टॉक में पेंट बकाया शेष था जिससे पैंट की मजदूरी के रूप में किया गया भुगतान संदिग्ध प्रतीत होता है नियमानुसार पहले पैंट को क्रय किया जाना था तत्पश्चात मन्दिर परिसर में पेंटिंग के पश्चात पेंटर को मजदूरी का भुगतान किया जा सकता था परन्तु मन्दिर न्यास द्वारा ऐसा नहीं किया गया जिस कारण ₹63638/- की मजदूरी का पेंटर को भुगतान संदिग्ध प्रतीत होता है I अत: बिना पैंट के क्रय के मजदूरी के भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा मामले में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए। इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या आर-82/2020 दिनांक 27.8.2020 के प्रतिउत्तर में मंदिर न्यास द्धारा पत्र संख्या मन्दिर न्यास तारा देवी /ऑडिट 45 दिनांक 31.08.2020 से सूचित किया गया कि इस विषय में आवश्यक कार्यवाही करने के उपरान्त अनुपालना से अवगत करवाया जायेगा।-

Voucher no/ Date	**Cash Book Page**	**Amount Paid (₹)**	**To whom Paid**	**Remarks**
nil/ 5.11.2018	83	63638	Sh. Narad Shah Painter	labour payment for painting made without Purchase of Paint Material.

30 बिजली सामान क्रय हेतु G.S.T के रूप में ₹3638 का अधिक भुगतान :-

अंकेक्षण के दौरान टेलीविजन के क्रय से सम्बंधित वाउचर की पड़ताल पर पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा निम्न विवरण अनुसार टेलीविजन क्रय हेतु G.S.T के रूप में ₹3638/- का अधिक भुगतान किया गया G.S.T के रूप में आपूर्तिकर्ता द्वारा 38.89% G.S.T बिल में जोड़ा गया जबकि नियमानुसार 28% G.S.T जोड़ा जाना अपेक्षित था अत; टेलीविजन के क्रय हेतु ₹3638/- के भुगतान को नियमानुसार न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा ₹3638/- की वसूली सुनिश्चित कि जाए I इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या आर-82/2020 दिनांक 27.8.2020 के प्रतिउत्तर में मंदिर न्यास द्धारा पत्र संख्या मन्दिर न्यास तारा देवी /ऑडिट 45 दिनांक 31.08.2020 से सूचित किया गया कि इस विषय में आवश्यक कार्यवाही करने के उपरान्त अनुपालना से अवगत करवाया जायेगा।-

Detail of Purchase							
Name of supplier	**Name of item Purchased**	**Date of purchase**	**Total Amount paid Including G.S.T (₹).**	**Amount of item without G.S.T (Rs)**	**Amount of G.S.T Admissble@28% (₹)**	**Amount of G.S.T paid).**	**Exces paid (Rs).**
Rajiv Kumar & Company Shimla	2 no Oscar T.V	20.03.2018	46400	33408	9354	12992	3638

31 रसीद बुकों के स्टॉक के रखरखाव बारे :-

अभिलेख की जांच मे पाया गया कि मंदिर न्यास द्वारा प्रयोग में लाई जा रही रसीद बुकों के संदर्भ में कोई स्टॉक रजिस्टर नही लगाया गया है जिसके अभाव में यह पता नही लगाया जा सका कि न्यास द्वारा कितनी रसीद पुस्तके छपवाई गई, रसीद बुकें किस क्रमांक की थी, कितनी रसीद पुस्तकें शेष थी। यहाँ पर यह भी वर्णित किया जाता है कि आय की प्राप्ति का मुख्य अभिलेख प्राय: रसीद बुकों में रखा जाता है तथा उनका स्टॉक रजिस्टर तैयार न करना एक गंभीर चूक है अत: परामर्श दिया जाता है कि इस संदर्भ में संस्था स्तर पर आंतरिक जांच करके व किसी प्रकार के दुरुपयोग को नकारते हुए निम्न वर्णित parforma पर रसीद बुकों का स्टॉक रजिस्टर तैयार करना सुनिश्चित किया जाए I इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या आर-82/2020

दिनांक 27.8.2020 के प्रतिउत्तर में मंदिर न्यास द्धारा पत्र संख्या मन्दिर न्यास तारा देवी /ऑडिट 45 दिनांक 31.08.2020 से सूचित किया गया कि इस विषय में आवश्यक कार्यवाही करने के उपरान्त अनुपालना से अवगत करवाया जायेगा।

1	**Date of receipt of receipt Books**	**2**	**No of receipt Book received**	**3**	**Sr No of the receipt Books**	**4**	**No of forms in the Reciept Book reffered to in Col.No.3**
5	**Signature of the Custodian of Reciept Book**	**6**	**Signature of the officer attesting the entry mode in the Stock Register**	**7**	**Dated of issue of Receipt Books for use**	**8**	**Sr. No of the Receipt Book issued for use**
9	**Signature of the official to whom issued**	**10**	**Date of return of the receipt books after used**	**11**	**Period during which the receipt book has been used**	**12**	**Remarks**

32 चल-अचल संपति का रख-रखाव न किया जाना :

Himachal Pradesh Hindu Public Religious Institutions and Charitable Endowments Act,1984 की धारा 6(1)(डी) के अंतर्गत न्यास द्वारा अधिग्रहित मंदिरों के संबंध में अधिग्रहण के समय तथा अधिग्रहण के बाद अधिग्रहित मंदिर की चल संपति जैसा कि सोना,चाँदी, मूर्तियों,आभूषण, महंगे स्टोन (पत्थर)एवं नगीने, बर्तन तथा दूसरी चल संपति का पूर्ण विवरण वजन एवं मूल्यांकन सहित बनाया जाना अपेक्षित था जबकि मंदिर न्यास द्वारा मंदिरों की चल संपति का कोई लेखांकन इस रजिस्टर में नहीं किया गया था। उपरोक्त के अतिरिक्त इस अधिनियम की **धारा 6(1)(ई)** के अंतर्गत अधिग्रहित मंदिर की अचल संपति का पूर्ण ब्यौरा भी

अचल संपति रजिस्टर में लेखांकित किया जाना अपेक्षित था। मंदिर न्यास द्वारा अधिगृहीत मंदिरो की अचल संपति का ब्यौरा लेखांकित नहीं किया गया था। अत: मंदिर न्यास द्वारा धारा 6(1)(डी)(ई) के अंतर्गत चल-अचल संपति का पूर्ण ब्यौरा लेखांकित न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए। साथ ही अंकेक्षण की और से यह सुझाव दिया जाता हैं मंदिर न्यास के द्वारा अधिगृहीत विभिन्न मंदिरों की चल अचल संपति का पूर्ण ब्यौरा शीघ्र अतिशीघ्र तैयार किया जाए, इस पूर्ण ब्यौरे को आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखाया जाना सुनिश्चित किया जाए। अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र सूचित किया जाए । इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या आर-82/2020 दिनांक 27.8.2020 के प्रतिउत्तर में मंदिर न्यास द्धारा पत्र संख्या मन्दिर न्यास तारा देवी /ऑडिट 45 दिनांक 31.08.2020 से सूचित किया गया कि इस विषय में आवश्यक कार्यवाही करने के उपरान्त अनुपालना से अवगत करवाया जायेगा।

33 अभिलेखो का अनुरक्षण न करना :-

अंकेक्षण का दौरान पाया गया कि मंदिर न्यास द्धारा निम्न लिखित अभिलेखो का अनुरक्षण नही किया जा रहा है जोकि एक गंभीर अनियमितता है अत: लेखा परीक्षा द्धारा सुझाव दिया जाता है कि मंदिर न्यास इन अभिलेखो का अनुरक्षण सुनिश्चित करे तथा मामले में अपेक्षित कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाए । इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या आर-82/2020 दिनांक 27.8.2020 के प्रतिउत्तर में मंदिर न्यास द्धारा पत्र संख्या मन्दिर न्यास तारा देवी /ऑडिट 45 दिनांक 31.08.2020 से सूचित किया गया कि इस विषय में आवश्यक कार्यवाही करने के उपरान्त अनुपालना से अवगत करवाया जायेगा।-

1 Salary Register
2 Leave Register.
3 Advance Register.
4 Donation Collection Register.
5 Ration Stock Register
6 Electricity Bill Payment Register.

34. हिमाचल प्रदेश सरकार की अध्यक्षता में दिनांक 02.08.2008 को लिए गए निर्णयों को लागू करने बारे

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि हिमाचल प्रदेश सरकार की अध्यक्षता में मंदिर प्रबन्धक व्यवस्था बारें दिनांक 02.08.2008 को लिए गए निर्णयों को मंदिर समूह न्यास तारा देवी में लागू नहीं किया गया था। जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैं :-

1. मंदिरों की Balance Sheet Statement Chartered Accountant से तैयार नहीं करवाई जा रही हैं

2. मंदिरों की Assests की वार्षिक प्रत्यक्ष सत्यापन (Annual Physical Verification) आयुक्त मंदिर द्वारा नहीं करवाई गई थी।

उपरोक्त आपत्तियों के संबंध में कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जा रही है। इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या आर-82/2020 दिनांक 27.8.2020 के प्रतिउत्तर में मंदिर न्यास द्धारा पत्र संख्या मन्दिर न्यास तारा देवी /ऑडिट 45 दिनांक 31.08.2020 से सूचित किया गया कि इस विषय में आवश्यक कार्यवाही करने के उपरान्त अनुपालना से अवगत करवाया जायेगा । अत: पुन: यह मामला उच्च अधिकारियों के समक्ष इस आशय से लाया जाता हैं कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों को शीघ्र अतिशीघ्र लागू किया जाए। साथ ही उपरोक्त आपत्तियों के संबंध में ठोस कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र सूचित किया जाए ।

35 स्टॉक एवं स्टोर का लेखा ठीक ढंग से न रखे जाने बारे :

स्टॉक एवं स्टोर से संबन्धित अभिलेखों की पड़ताल करने पर पाया गया कि संबन्धित अभिलेखों का नियमानुसार रखरखाव नहीं किया गया था।अंकेक्षणाधीन अवधि के दौरान क्रय किए गए विभिन्न सामान की प्रविष्टि स्टॉक एवं स्टोर पंजिका में लेखांकित नहीं की गई थी। साथ स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्ट की गई सामान की प्रविष्टियों को सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था। अत: यह मामला उच्च अधिकारियों के समक्ष इस आशय से लाया जाता हैं कि नियमानुसार स्टॉक एवं स्टोर का लेखा बनवाया जाना सुनिश्चित किया जाए। अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र सूचित किया जाए । इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या आर-82/2020 दिनांक 27.8.2020 के प्रतिउत्तर में मंदिर न्यास द्धारा पत्र संख्या मन्दिर न्यास तारा

देवी /ऑडिट 45 दिनांक 31.08.2020 से सूचित किया गया कि इस विषय में आवश्यक कार्यवाही करने के उपरान्त अनुपालना से अवगत करवाया जायेगा।-

36. **लघु आपत्ति विवरणिका** :- यह अलग से जारी नहीं की गई हैं। लघु आपत्तियों का निपटारा अंकेक्षण के दौरान ही कर लिया गया हैं।

37. **निष्कर्ष** :- लेखों में सुधार की आवश्यकता हैं। गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों के निपटारे हेतु शीघ्र आवश्यक कदम उठाए जाए।

हस्ता / –

(राम सिंह चौहान)
उप निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–09
फोन नं0 0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)(14) 191 / 97–खण्ड–2 4942–4945 दिनांकः 09.10.2020 शिमला–09

प्रतिलपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :–

1 अतिरिक्त मुख्य सचिव (भाषा एवं संस्कृति विभाग) हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला–2

2 उपायुक्त शिमला एवं आयुक्त मन्दिर न्यास श्री तारा देवी जी, जिला शिमला (हि0प्र0)

3 निदेशक, भाषा एवं संस्कृति विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला–09

पंजीकृत 4 मन्दिर अधिकारी, श्री तारा देवी मन्दिर न्यास तारादेवी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करवाकर सटिप्पण उतर एक माह के भीतर इस विभाग को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

हस्ता / –

(राम सिंह चौहान)
उप निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–09
फोन नं0 0177–2620881

परिशिष्ट-क **(पैरा 1 (1) के सन्दर्भ में)**

[illegible]-

[illegible] :-

([illegible]) [illegible] 1.7.87 [illegible] 31.3.1997

क्रम सं.	पैरा सं	विवरण	टिप्पणी
1	पैरा 3 (क) (ख)	अनिर्णीत	
2	पैरा 4(क) (ग)(1)(ii)	अनिर्णीत	
3	पैरा 4 (ख)	निर्णीत	आवश्यक स्पष्टीकरण पश्चात
4	पैरा 5(क) से (घ) तथा (च) से (ठ)	अनिर्णीत	
5	पैरा 6	अनिर्णीत	
6	पैरा 7	अनिर्णीत	
7	पैरा 8(क) से (घ)तथा (च)	अनिर्णीत	
8	पैरा 9 (क)(ख)	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित
9	पैरा 9 (ख)(2)(ग़) (घ) (ड)(च)	अनिर्णीत	
10	पैरा 10	अनिर्णीत	
11	पैरा 11 (क) से (ग़)	अनिर्णीत	

([illegible]) [illegible] 1.1.2001 [illegible] 31.12.2002

क्रम सं.	पैरा सं	विवरण	टिप्पणी
1	पैरा 4 (ख) से (छ)	अनिर्णीत	
2	पैरा 6 (क) (ख)	अनिर्णीत	

3	पैरा 7	अनिर्णीत	
4	पैरा 8	अनिर्णीत	
5	पैरा 9	अनिर्णीत	
6	पैरा 10 (क) (ख)	अनिर्णीत	
7	पैरा 11	अनिर्णीत	
8	पैरा 12	अनिर्णीत	
9	पैरा 13	अनिर्णीत	
10	पैरा 14	अनिर्णीत	
11	पैरा 16	अनिर्णीत	
12	पैरा 17(क) (ख)	अनिर्णीत	
13	पैरा 19	निर्णीत	आवश्यक स्पष्टीकरण पश्चात
14	पैरा 20 (क)	निर्णीत	आवश्यक स्पष्टीकरण पश्चात
15	पैरा 20 (ख)	निर्णीत	आवश्यक स्पष्टीकरण पश्चात
16	पैरा 20 (ग)	निर्णीत	आवश्यक स्पष्टीकरण पश्चात
17	पैरा 20 (घ)	निर्णीत	आवश्यक कार्यवाही पश्चात
18	पैरा 20 (ड)	निर्णीत	आवश्यक स्पष्टीकरण पश्चात
19	पैरा 20 (च)	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित
20	पैरा 20 (छ)	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित
21	पैरा 20 (ज)	निर्णीत	आवश्यक स्पष्टीकरण पश्चात
22	पैरा 20 (झ) 1व 2	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित
23	पैरा 20 (ञ)	निर्णीत	आवश्यक स्पष्टीकरण पश्चात

(□) □□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□ 01.01.2003 □□ 31.12.2004

क्रम सं.	**पैरा सं**	**विवरण**	
1	पैरा 4 (ख) से (ञ)	अनिर्णीत	
2	पैरा 6 (क) (ख) (घ) (ड़)	अनिर्णीत	
3	पैरा 9 (क) (ख)	अनिर्णीत	
4	पैरा 10 (1) से (3)	अनिर्णीत	
5	पैरा 12	अनिर्णीत	
6	पैरा 15 (क)	निर्णीत	आवश्यक स्पष्टीकरण पश्चात
7	पैरा 15 (ख)	निर्णीत	आवश्यक स्पष्टीकरण पश्चात

8	पैरा 15 (ग) से (छ)	अनिर्णीत	
9	पैरा 16	अनिर्णीत	
10	पैरा 17 (क)(ख)	अनिर्णीत	
11	पैरा 18 (1) से (3)	अनिर्णीत	
12	पैरा 19	निर्णीत	आवश्यक स्पष्टीकरण पश्चात
13	पैरा 20 (क) से (ग)	अनिर्णीत	
14	पैरा 21	अनिर्णीत	
15	पैरा 22	अनिर्णीत	
16	पैरा 23	अनिर्णीत	
17	पैरा 24	अनिर्णीत	
18	पैरा 26(क)(घ)(च)(ज)(झ)	अनिर्णीत	

(□) □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ 01.01.2005 □□ 31.12.2005

क्रम सं.	पैरा सं	विवरण	
1	पैरा 4 (ख)	अनिर्णीत	
2	पैरा 5	अनिर्णीत	
3	पैरा 6	अनिर्णीत	
4	पैरा 7	अनिर्णीत	

(□) □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ 01.01.2006 □□ 31.12.2009

क्रम सं.	पैरा सं	विवरण	टिप्पणी
1	पैरा 13	अनिर्णीत	

(□) □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ 01.01.2010 □□ 31.12.2013

क्रम सं.	पैरा सं	विवरण	टिप्पणी
1.	पैरा 13 (क)(ख)	अनिर्णीत	
2	पैरा 14	अनिर्णीत	

3	पैरा 16	अनिर्णीत	

(□) □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ 01.01.2014 □□ 31.12.2015

क्रम सं.	पैरा सं	विवरण	टिप्पणी
1	पैरा 8	अनिर्णीत	
2	पैरा 10	अनिर्णीत	

□) □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ 01.01.2016 □□ 31.12.2017

क्रम सं.	पैरा सं	विवरण	
1	पैरा 3	निर्णीत	दिनांक 9.9.2019 को भेजने के पश्चात
2	पैरा 4(क)	निर्णीत	वर्तमान स्थिति अंकेक्षण में प्रारूपित है
3	पैरा 4(ख)	निर्णीत	वर्तमान स्थिति अंकेक्षण में प्रारूपित है
4	पैरा 4(ग)	निर्णीत	आवश्यक स्पष्टीकरण पश्चात
5	पैरा 5(क)	निर्णीत	वर्तमान स्थिति अंकेक्षण में प्रारूपित है
6	पैरा 5(ख)	निर्णीत	आवश्यक स्पष्टीकरण पश्चात
7	पैरा 5(ग)	निर्णीत	वर्तमान स्थिति अंकेक्षण में प्रारूपित है
8	पैरा 5(घ)	निर्णीत	आवश्यक कार्यवाही पश्चात
9	पैरा 5(ङ)	निर्णीत	आवश्यक स्पष्टीकरण पश्चात
10	पैरा 5(च)	निर्णीत	आवश्यक कार्यवाही पश्चात
11	पैरा 5(छ)	निर्णीत	वर्तमान स्थिति अंकेक्षण में प्रारूपित है
12	पैरा 5(ज)	निर्णीत	वर्तमान स्थिति अंकेक्षण में प्रारूपित है
13	पैरा 6(क)	निर्णीत	आवश्यक स्पष्टीकरण पश्चात
14	पैरा 6(ख)	निर्णीत	वर्तमान स्थिति अंकेक्षण में प्रारूपित है
15	पैरा 6(ग)	निर्णीत	आवश्यक स्पष्टीकरण पश्चात
16	पैरा 7	निर्णीत	आवश्यक स्पष्टीकरण पश्चात
17	पैरा 8	निर्णीत	वर्तमान स्थिति अंकेक्षण में प्रारूपित है
18	पैरा 9	निर्णीत	आवश्यक स्पष्टीकरण पश्चात
19	पैरा 10	निर्णीत	आवश्यक स्पष्टीकरण पश्चात
20	पैरा 11	निर्णीत	वर्तमान स्थिति अंकेक्षण में प्रारूपित है
21	पैरा 12	अनिर्णीत	
22	पैरा 13	अनिर्णीत	
23	पैरा 14	निर्णीत	आवश्यक स्पष्टीकरण पश्चात
24	पैरा 15	निर्णीत	आवश्यक स्पष्टीकरण पश्चात
25	पैरा 16	अनिर्णीत	
26	पैरा 17	अनिर्णीत	
27	पैरा 18	निर्णीत	वर्तमान स्थिति अंकेक्षण में प्रारूपित है
28	पैरा 19	निर्णीत	वर्तमान स्थिति अंकेक्षण में प्रारूपित है
29	पैरा 20	निर्णीत	वर्तमान स्थिति अंकेक्षण में प्रारूपित है
30	पैरा 21	निर्णीत	वर्तमान स्थिति अंकेक्षण में प्रारूपित है
31	पैरा 22	निर्णीत	वर्तमान स्थिति अंकेक्षण में प्रारूपित है
32	पैरा 23	निर्णीत	वर्तमान स्थिति अंकेक्षण में प्रारूपित है

अनिर्णीत पैरों का सार	
दिनांक 01.01.2018 को अनिर्णीत पैरों का प्रारम्भिक शेष	94
(+) वर्तमान अंकेक्षण के दौरान लगाए गए पैरों की संख्या	33
(-) वर्तमान अंकेक्षण के दौरान निर्णीत किए गए पैरे	44
दिनांक 31.12.19 को अनिर्णीत पैरों का अन्तशेष	83